



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



9 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 7 राँची, बुधवार

28 फ़रवरी, 2024 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 73-80 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 —भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9 —विज्ञापन ---
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक — ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

21 फरवरी, 2024

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०(मु०)-01-07/2022श्र०नि०-258--श्री अमित प्रकाश, भा०प्र०से० (झा:2011), अपर सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का प्रभार दिया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रेमलता मुर्मू

सरकार के उप सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।-----
अधिसूचना

19 फरवरी, 2024

संख्या-13/पी₂-102/2021-955/सी०--श्री सुमित कुमार अग्रवाल, भा०पु०से० (2019), को भारतीय पुलिस सेवा में सेवा संपुष्टि की तिथि 26.08.2023 के प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर टाईम स्केल के वेतनमान-Level-11 of Pay Matrix में प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री अग्रवाल का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।-----
अधिसूचना

22 फरवरी, 2024

संख्या-13/एल०-101/2024-1075--श्री शुभांशु जैन भा०पु०से०, पुलिस अधीक्षक (एस०आई०बी०), विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-22.02.2024 से 22.03.2024 तक कुल 30 (तीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

18 दिसम्बर, 2023

संख्या-1/विविध-832/2019 का०-7071--श्रीमती आर. रॉनिटा, भा०प्र०से० (झा:2015), सम्प्रति प्रतिक्षारत को भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या-13018/1/2010, दिनांक-07.09.2010 के आलोक में दिनांक 09.12.2023 से 08.04.2024 तक कुल 122 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

7 दिसम्बर, 2023

संख्या-4/नि०सं०-12-111/2015 का.-6824--श्रीमती कंचन सिंह झा०प्र०से०, (चतुर्थ बैच, कोटि क्रमांक 329/20), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजमहल (साहेबगंज) सम्प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, चैनपुर (गुमला) के पद पर अधिसूचित को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-907/ वि० दिनांक 01.07.2010 तथा 551/वि० दिनांक 01.03.2007 के तहत दिनांक 26.08.2023 से 21.02.2024 तक (कुल 180 दिन) मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

शुद्धि पत्र

30 जनवरी, 2024

संख्या-12/पी०-8002/2021-613--(i) राँची द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-523, दिनांक-30.01.2024 में अंकित "पुलिस उपाधीक्षक, सदर राँची" को "पुलिस उपाधीक्षक (मु०), जामताड़ा" पढ़ा जाय ।

(ii) गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-577, दिनांक-30.01.2024 में अंकित "अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, कोडरमा" को " पुलिस उपाधीक्षक (मु०),कोडरमा " पढ़ा जाय ।

(iii) गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-605, दिनांक-30.01.2024 में अंकित "पुलिस उपाधीक्षक (मु०), जामताड़ा" को "पुलिस उपाधीक्षक, सदर राँची" पढ़ा जाय ।

उक्त अधिसूचनाओं को इस हद तक संशोधित समझा जाय। इसके शेष तथ्य यथावत रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

11 जनवरी, 2024

संख्या-13/आई०पी०एस०-127/2019-209--श्री टी० कन्दसामी, भा०पु०से०, अपर पुलिस महानिदेशक-सह-विशेष सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-09.12.2023 से 18.12.2023 तक कुल 10 (दस) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

16 फरवरी, 2024

संख्या-13/आई०पी०एस०-108/2023-902--श्री हृदीप पी० जर्नादनन भा०पु०से०, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, पाकुड़ सम्प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद को विभागीय अधिसूचना सं०-**6166**, दिनांक-**22.12.2023** के द्वारा अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी नियमावली, **1955** के नियम **10, 11** एवं **20** के तहत दिनांक-**27.12.2023** से **10.01.2024** तक कुल **15**(पन्द्रह) दिनों के स्वीकृत उपार्जित अवकाश को रद्द करते हुए दिनांक-**27.12.2023** से **30.12.2023** तक कुल-**04** दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

शुद्धि पत्र

8 जनवरी, 2024

संख्या-13/पी०-103/2019-136--विभागीय अधिसूचना सं०-6264, 6265, 6266, 6274 तथा 6275, दिनांक-27.12.2023, जो कि केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान किये जाने से संबंधित है, के ज्ञापांक में अंकित निर्गत तिथि दिनांक- "**27.12.2024**" को दिनांक-"**27.12.2023**" पढ़ा जाय ।

2. उक्त अधिसूचनाओं की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी ।

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

19 जनवरी, 2024

संख्या-16/थाना-03/2019-376--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 की उप-धारा (घ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा राज्य के निम्नांकित जिलों में साईबर अपराध थाना के सृजन की घोषणा करती है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	थाना का नाम
1	रांची	साईबर अपराध थाना, राँची
2	लातेहार	साईबर अपराध थाना, लातेहार
3	हजारीबाग	साईबर अपराध थाना, हजारीबाग
4	दुमका	साईबर अपराध थाना, दुमका
5	बोकारो	साईबर अपराध थाना, बोकारो
6	रामगढ़	साईबर अपराध थाना, रामगढ़
7	चाईबासा	साईबर अपराध थाना, चाईबासा
8	सरायकेला-खरसावाँ	साईबर अपराध थाना, सरायकेला-खरसावाँ

2 उपर्युक्त थाना को निम्नांकित शर्तों के साथ संचालित किया जाता है-

क. उक्त थानों में संबंधित जिला में कार्यरत पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) को साईबर अपराध थाना प्रभारी बनाया जाएगा ।

ख. आवश्यकतानुसार जिला में उपलब्ध पुलिस निरीक्षकों को साईबर अपराध थाना में प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन / अतिरिक्त अनुसंधानकर्ता के रूप में प्रतिनियुक्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक सक्षम होंगे। यदि आई०टी०एक्ट के अन्तर्गत दर्ज काण्डों के अनुसंधान हेतु अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक पंक्ति के अधिकारियों की आवश्यकता हो तो पुलिस अधीक्षक जिला में उपलब्ध पुलिस अवर निरीक्षक पंक्ति के अधिकारियों को पुलिस महानिदेशक से अनुमति प्राप्त कर पुलिस निरीक्षक पंक्ति में कागजी प्रोन्नति (Paper Promotion) देकर पदस्थापित / प्रतिनियुक्त कर सकेंगे। परन्तु ऐसी प्रोन्नति पूर्ण रूप से अस्थायी होगी और इसका कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा और इसका पुलिस अवर निरीक्षक पंक्ति के अधिकारियों की वरीयता सूची में कोई प्रभाव नहीं होगा ।

ग. इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला में उपलब्ध पुलिस अवर निरीक्षक / सहायक अवर निरीक्षक को अनुसंधान में सहयोग हेतु पर्याप्त संख्या में पदस्थापित /प्रतिनियुक्त कर सकेंगे। ये अधिकारी पुलिस निरीक्षक अनुसंधानकर्ताओं के साथ सहायक अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करेंगे।

3 उपरोक्त थाना के सृजन हेतु कोई पद सृजित नहीं किया जायेगा।

4 यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

टी० कन्दसामी,

सरकार के विशेष सचिव।
